INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP70534989829658Y

e-Stamp

5681/2026

90

Certificate No.	:	IN-UP70534989829658Y
Certificate Issued Date	:	23-Mar-2026 05:08 PM
Account Reference	:	SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUPSHCIL0133998615348446Y
Purchased by	:	LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	VILL-DONA,GATA NO-417 ETC,TOTAL AREA-0.1710 HEC LUCKNOW
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	GAYA PRASAD
Second Party	:	LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
Stamp Duty Paid By	:	LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	3,35,160 (Three Lakh Thirty Five Thousand One Hundred And Sixty only)

IN-UP70534989829658Y

Please write or type below this line

स्कैनेड कुल पेज 16
ज्ञानेन्द्र श्रीवास्तव
निबन्धक सहायक
प्रथम

नि० अं० गया प्रसाद

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/ल०वि०प्रा०
ल०वि०प्रा०

FH 0000919626

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

SHCIL

49

48

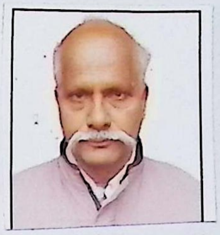

विक्रय विलेखपत्र का विवरण

1. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट – 70,00,000/– (प्रति हे0)
2. जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित दर (प्रति हे0) :– 70 लाख का 04 गुणा = 2,80,00,000/– (प्रति हे0)

3. विक्रय मूल्य (भूमि+परिसम्पत्ति (वृक्षों को छोड़कर) का मूल्य) – 47,88,000/–
4. मालियत रू0 – 11,97,000/–
5. जनरल स्टाम्प – 3,35,160/–
   स्टाम्प सं. डी **IN-UP70534989829658Y** व दिनांक **23-03-2026**

विक्रय विलेख

6. भूमि का प्रकार – (कृषि)
7. ग्राम/मोहल्ला – दोना
8. परगना व तहसील – काकोरी तहसील सरोजनीनगर
9. जनपद – लखनऊ

सम्पत्ति का विवरण

खसरा सं० 417 का कुल रकबा 0.0510हे0 में से विकीत रकबा 0.0255हे0,
खसरा सं० 1872 का कुल रकबा 0.1010हे0 में से विकीत रकबा 0.0505हे0,
खसरा सं० 1812स का कुल रकबा 0.0760हे0 में से विकीत रकबा 0.0380हे0,
खसरा सं० 2829 का कुल रकबा 0.0890हे0 में से विकीत रकबा 0.0445हे0,
खसरा सं० 3067 का कुल रकबा 0.0250हे0 में से विकीत रकबा 0.0125हे0,
कुल रकबा 0.3420हे0 में से विकीत रकबा 0.1710हे0 अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग।

10. सम्पत्ति का क्षेत्रफल – 0.1710हे0
11. सड़क की स्थिति– किसी भी सेगमेंट मार्ग पर स्थित नहीं है।
12. विकित रकबा किसी रोड से सटा नहीं है और आबादी से 300 मी0 दूरी पर स्थित है।
13. विकेता अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य नही है।

प्रताप शुक्ला
तहसीलदार/स०प०आ०
ल०वि०प्रा०

47

46

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण

14. परिसम्पत्ति (वृक्षों को छोड़कर) – नहीं है।

चौहद्दी खसरा संख्या– 417

15. पूरब – गाटा संख्या – 418
16. पश्चिम – गाटा संख्या – 395
17. उत्तर – गाटा संख्या – 395
18. दक्षिण – गाटा संख्या – 416

19. विक्रेता का विवरणः–

श्री गया प्रसाद पुत्र मंगलू, निवासी –दोना, विशेषर खेडा, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

आधार नं0 5467 7609 2416 मो0 नं0 8090603149 पैन नं0 **DKBPP3283A**

20. क्रेता का विवरणः–

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजनान्तर्गत – वरूण विहार आवासीय योजना
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
लखनऊ विकास विकास प्राधिकरण
गोमती नगर, लखनऊ

द्वारा – **श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला**
पदनाम – सहायक चकबन्दी अधिकारी/नायब तहसीलदार
विभाग – लखनऊ विकास प्राधिकरण
जनपद – लखनऊ मो0 – 9540244993
पैन संख्या – **AAALL0016F**

21. विक्रीत भूमि विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है, जो जुमला हर किस्म के इन्तकालात मिस्ल, रेहन व बय व हिबा, ऋण भार, कुर्की, जमानत, बन्धक, मुकदमा आदि से ग्रसित नही है, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति की भागीदारी नही है, और न ही किसी अन्य के पक्ष में विक्रय बैनामा किया गया है। उक्त आराजी को विक्रय करने का मुझ विक्रेता को पूर्ण मालिकाना हक हासिल है, जिसमें से रकबा **0.1710हेक्टेयर** भूमि विक्रीत की जाती है। अब वजरूरत खुद के उसी किता भूमिधरी आराजी को पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकारो व दाखिल–खारिज सहित पूरे होशो हवास में खूब सोच व समझकर, बिना किसी दबाव मय कुल हक व हकूक के विला छोडे किसी चीज व हक व जुज के विल एवज मुबलिग **रूपये 47,88,000/–(रूपये सैतालिस लाख अठ्ासी हजार मात्र)** जिसके आधे मुवलिग **रूपये 23,94,000/–(रूपये तेईस लाख चौरानवे मात्र)** होते है, बदस्त **क्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण, वरूण विहार योजना** गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत प्राधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला पुत्र श्री अंजनी कुमार शुक्ला, सहायक चकबन्दी अधिकारी /नायब तहसीलदार लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में बय कामिल व फरोख्त कतई किया यानि **लखनऊ विकास प्राधिकरण** को बेच दिया और कुल विक्रीत धनराशि क्रेता से वसूल पाकर कब्जा व दखल मालिकाना विक्रीत संक्रमणीय भूमि पर आज की तारीख से केता का कब्जा वाकई बखूबी करा दिया, अब मुझ विक्रेता व वारिसान विक्रेता का कोई हक व दावा विक्रीत आराजी पर नही रह गया व विक्रय धनराशि क्रेता से बाकी नही रहा। अगर कोई शख्स दावा करे,

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार

45

तो व बिल्कुल नाजायज होवे और गर विक्रीत आराजी बयसुदा पूर्ण अथवा उसका कोई अंश क्रेता के स्वामित्व व अधिकारो से निकल जावे या कब्जा न मिले या अन्य किसी प्रकार से विवादित व भारग्रसित पायी जाये तो ऐसी तमाम सूरतो में क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह कुल विक्रय मूल्य मय हर्जा–खर्चा विक्रेता, उसके वारिसानों तथा दीगर जायदात चल व अचल से बजरिये अदालत वसूल कर लेवे, जिसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी। उपरोक्त विक्रीत भूमि से सम्बधित सभी हक व हकूक तथा स्वत्व, सारे अधिकार, विक्रेता ने क्रेता को Free From all encumbrances के अन्तरित कर दिए है अब क्रेता उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज सरकारी कागजातों में अपने नाम दर्ज करा लेवे विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

उपरोक्त भूमि किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत नही है। उक्त भूखण्ड का, जिसका वह लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में विक्रय कर रहा है, को पूर्व में किसी अन्य के पक्ष में कोई विक्रय विलेख निष्पादित या अन्य कोई विलेख नही किया गया है। और प्रश्नगत भूमि का स्वत्व उसी में निहित है तथा भूमि बन्धक रहित और भारमुक्त है।

लिहाजा यह बैनामा अपने होशो हवास में बिला दबाव नाजायज किसी शख्स के समक्ष गवाहान तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

22. <u>तफसील आराजी बयसुदाः–</u>

भूमिधरी आराजी खसरा सं० 417 का कुल रकबा 0.0510हे0 में से विक्रीत रकबा 0.0255हे0, खसरा सं० 1872 का कुल रकबा 0.1010हे0 में से विक्रीत रकबा 0.0505हे0, खसरा सं० 1812स का कुल रकबा 0.0760हे0 में से विक्रीत रकबा 0.0380हे0, खसरा सं० 2829 का कुल रकबा 0.0890हे0 में से विक्रीत रकबा 0.0445हे0, खसरा सं० 3067 का कुल रकबा 0.0250हे0 में से विक्रीत रकबा 0.0125हे0, कुल रकबा 0.3420हे0 में से विक्रीत रकबा 0.1710हे0 अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम–दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।

प्रस्तुत विक्रय विलेख उभय पक्षों द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। जिसकी समस्त जिम्मेदारी पक्षकारो की है तथा पक्षकारों की पहचान गवाहों द्वारा की जा रही है।

23. <u>तफसील बसूलयाबीः–</u>

कुल विक्रय मूल्य मु0 रूपये 47,88,000/–(रूपये सैतालिस लाख अठ्ासी हजार मात्र) विक्रेता श्री गया प्रसाद पुत्र मंगलू उपरोक्त को जरिए डिमांड ड्रॉफट **ICICI Bank** शाखा अशोक मार्ग, लखनऊ विकास प्राधिकरण ड्रॉफट संख्या 539089 दिनांक 18क.03.2026 के द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। विकेता को कुछ भी पाना शेष नहीं है। विक्रेता अथवा उसका कोई वारिसान भविष्य में उक्त विक्रय धनराशि के अतिरिक्त अन्य किसी भी धनराशि अथवा लाभ के लिए विभाग से कोई दावा नही करेगा और न ही इस सम्बन्ध में किसी न्यायालय में वाद दायर करेगा। विक्रय विलेख निष्पादन के पूर्व कभी भी यदि विक्रेता द्वारा किसी भी व्यक्ति या निकाय के पक्ष मे विक्रीत आराजी के बाबत यदि कोई विक्रय विलेख, इकरारनामा–बय अथवा बंधक का निष्पादित किया जाना पाया जाए, तो वह शून्य होवेगा और विक्रेता लखनऊ विकास प्राधिकरण को 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति के रूप मे भुगतान करने को बाध्य होगा एवं विक्रेता द्वारा क्षतिपूर्ति की अदायगी मे विफल होने की दशा मे लखनऊ विकास प्राधिकरण जरिए अदालत उक्त क्षतिपूर्ति की वसूली भू–राजस्व की भांति करने को हकदार होगा जिसमे विक्रेता को कोई

प्रताप शुक्ला
तहसीलदार/सं०प्रा०

43

आपत्ति नही होगी। इसके अतिरिक्त आवासीय योजना बनते समय अगर पैमाईश में क्षेत्रफल कम पाया जाता है अथवा भुगतान गलती से अधिक धनराशि का हो जाता है और विक्रेता अतिरिक्त धनराशि स्वयं नही लौटाता है तो 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से भू–राजस्व की भाँति लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को विकेता से वसूलने का अधिकार होगा। यह भी उक्त विक्रय से प्राप्त धनराशि पर आयकर के नियमों के अनुसार यदि आयकर बनता है तो उसकी विक्रय के फलस्वरूप प्राप्त धनराशि में से स्रोत पर ही नियमानुसार कटौती कर ली जायेगी और इस पर विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

स्थान– लखनऊ।
दिनांक–.............2026
28/3

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

41

आवेदन स०: 202601041013758

विक्रय पत्र

बही स०: 1	रजिस्ट्रेशन स०: 5681	वर्ष: 2026

प्रतिफल- 4788000 स्टाम्प शुल्क- 335160 बाजारी मूल्य - 1197000 पंजीकरण शुल्क - 47880 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 47940

श्री गया प्रसाद ,
पुत्र श्री मंगल
व्यवसाय : अन्य
निवासी: दोना

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 02/04/2026 एवं 05:11:20 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव प्रभारी
उप निबंधक :सरोजनीनगर
लखनऊ
02/04/2026

निबंधक लिपिक
02/04/2026

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

प्रताप शुक्ला
तहसीलदार/स०च०अ०
ल०वि०प्रा०

<u>गवाह – 01</u>

नाम – श्री शिवम अवस्थी (संविदा अमीन)
पिता का नाम – श्री दिनेश कुमार अवस्थी
निवासी – लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

आधार संख्या– 4986 9378 6018
मोबाइल संख्या – 6387717976

<u>गवाह – 02</u>

नाम – श्री देशराज (लेखपाल)
पिता का नाम – श्री राम सागर
निवासी – लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

आधार संख्या– 6542 8459 4318
मोबाइल संख्या – 7081100818

टाइपकर्ता

सौरभ
लखनऊ विकास प्राधिकरण

प्रालेखक

श्री दान बहादुर पाठक
(एडवोकेट)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
मो0 6386063529

39

श्री देशराज लेख0, ...

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव प्रभारी
उप निबंधक : सरोजनीनगर
लखनऊ
02/04/2026

ने की । प्रत्यक्षतःभद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

. . .
निबंधक लिपिक लखनऊ
02/04/2026

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश

38

विक्रीत सम्पत्ति का फोटो ग्राफ

खसरा सं० 417 का कुल रकबा 0.0510हे0 में से विक्रीत रकबा 0.0255हे0, खसरा सं० 1872 का कुल रकबा 0.1010हे0 में से विक्रीत रकबा 0.0505हे0, खसरा सं० 1812स का कुल रकबा 0.0760हे0 में से विक्रीत रकबा 0.0380हे0, खसरा सं० 2829 का कुल रकबा 0.0890हे0 में से विक्रीत रकबा 0.0445हे0, खसरा सं० 3067 का कुल रकबा 0.0250हे0 में से विक्रीत रकबा 0.0125हे0, कुल रकबा 0.3420हे0 में से विक्रीत रकबा 0.1710हे0 अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम–दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।

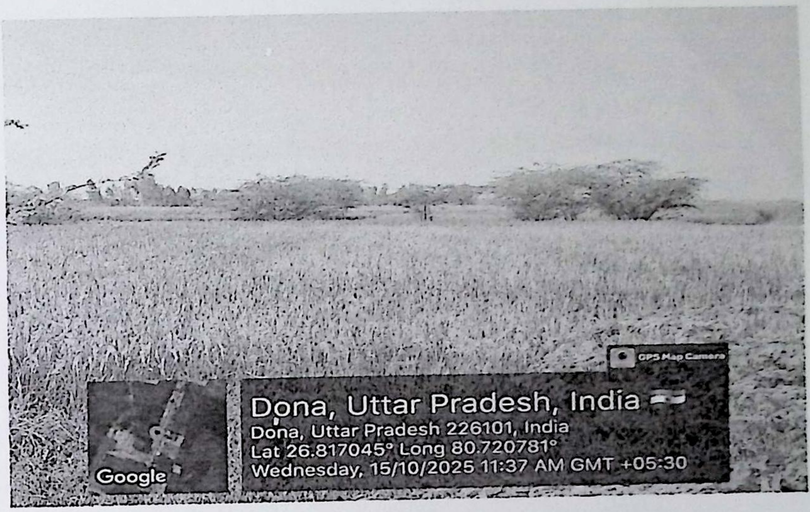

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/स०न०अ०
ल०वि०प्रा०

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता के हस्ताक्षर

37

आवेदन सं०: **202601041013758**

बही स०: 1	रजिस्ट्रेशन स०: 5681	वर्ष: 2026

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री गया प्रसाद,

|GAYA PRASAD

पुत्र श्री मंगल

निवासी: दोना

व्यवसाय: अन्य

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन **XXXXXX 283A**

क्रेता: 1

श्री लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला (नायब तहसीलदार),

|LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

.....

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

पक्षकार द्वारा सत्यापित पैन **XXXXXX 016F**

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री शिवम अवस्थी अमीन, ...

निवासी: लखनऊ विकास प्राधिकरण

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता : 2

36

0 – 200 मीटर त्रिज्या का मानचित्र

खसरा सं० 417 का कुल रकबा 0.0510हे0 में से विक्रीत रकबा 0.0255हे0, खसरा सं० 1872 का कुल रकबा 0.1010हे0 में से विक्रीत रकबा 0.0505हे0, खसरा सं० 1812स का कुल रकबा 0.0760हे0 में से विक्रीत रकबा 0.0380हे0, खसरा सं० 2829 का कुल रकबा 0.0890हे0 में से विक्रीत रकबा 0.0445हे0, खसरा सं० 3067 का कुल रकबा 0.0250हे0 में से विक्रीत रकबा 0.0125हे0, कुल रकबा 0.3420हे0 में से विक्रीत रकबा 0.1710हे0अर्थात विक्रेता का सम्पूर्ण भाग स्थित ग्राम–दोना परगना काकोरी तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।

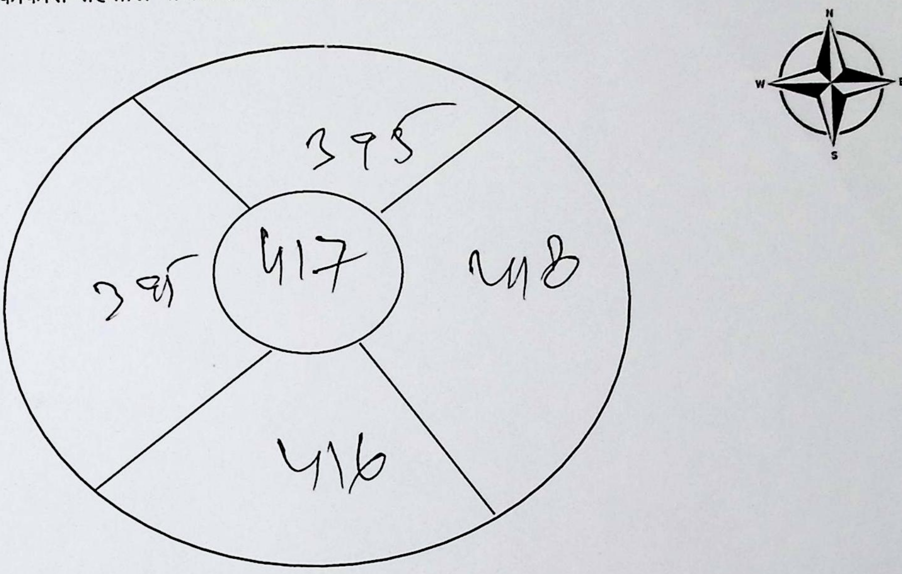

ज्ञानेन्द्र प्रताप शुक्ला
नायब तहसीलदार/ल०च०अ०
ल०वि०प्रा०

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता के हस्ताक्षर

35

आवेदन सं०: **202601041013758**

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 15226 के पृष्ठ 385 से 404 तक क्रमांक 5681 पर दिनाँक 02/04/2026 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव प्रभारी
उप निबंधक : सरोजनीनगर
लखनऊ
02/04/2026

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश